राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 737/2016/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रोका बाथरूम प्रोडक्टस प्रा0 लि0,
चौपानकी, भिवाड़ी .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 126/RVAT/2014–15/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 17.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 1,24,779/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.05.2014 को ट्रांसपोर्ट कम्पनी मै0 पूर्ण भारत रोड कैरियर्स, भिवाड़ी के व्यवसाय स्थल पर जी.आर. नं0– 16710 दिनांक 23.05.2014 से परिवहनित किये जा रहे माल की जांच करने पर मै0 सन ब्रास इण्डिया प्रा0 लि0, दिल्ली द्वारा दिनांक 23.05.2014 को जरिये इन्वॉयस नं0–048 माल Half Turn Fitting एवं Qtr Turn Fitting (Concealed) प्रत्यर्थी–व्यवसायी को भिजवाया जाना पाया गया। उक्त माल निरीक्षण पर सेनेट्री फिटिंग्स होना पाया गया जो कि अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी का करयोग्य माल होने के कारण राज्य के बाहर से इसका आयात किया जाने पर परिवहन के दौरान उक्त माल के दस्तावेजों के साथ वैट नियम–53 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न किया जाना आवश्यक है किन्तु जांच के समय उक्त माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहार में अधिनियम की धारा 76(2)(b) सपठित नियम–53 का उल्लंघन पाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त संव्यवहार में अधिनियम की धारा 76(2)(b) सपठित नियम–53 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए करापवंचन के संदेह से प्रत्यर्थी–व्यवसायी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 1,24,779/– आरोपित की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त

लगातार.....2

आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवसायी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में बताया कि प्रत्यर्थी–व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर दिल्ली से मंगवाया गया उक्त माल Half Turn Fitting एवं Qtr Turn Fitting (Concealed) सेनेट्री गुड्स अथवा सेनेट्री फिटिंग्स नहीं है बल्कि यह Internal part of Water Tap है जिसे उसके द्वारा Faucets के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है एवं न ही यह सेनेट्री गुड्स/फिटिंग्स की परिभाषा में कवर होता है, अतः इस आधार पर उक्त माल पर घोषणा–पत्र वैट–47 की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त संव्यवहार के संबंध में पूर्व में ही विक्रेता फर्म मैसर्स सन ब्रास इण्डिया प्रा0 लि0, दिल्ली को घोषणा–पत्र वैट–47 भिजवा दिया गया था जो विक्रेता व्यवसायी से भूलवश उक्त माल के दस्तावेजों के साथ संलग्न होने से रह जाने के कारण जांच के समय मौजूद नहीं पाया गया एवं जब प्रत्यर्थी व्यवसायी को इस बात का पता चला तो उसके द्वारा विक्रेता फर्म से उक्त घोषणा–पत्र वैट–47 प्राप्त कर सशक्त अधिकारी के कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने से पूर्व ही जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया जाकर उक्त तथ्यों से अवगत करा दिया गया था, किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब में वर्णित तथ्यों पर विचार किये बिना एवं जांच के समय प्रस्तुत दस्तावेजों को बोगस अथवा मिथ्या साबित किये बिना ही विवादित आदेश के तहत अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर दी गई, जो कि अनुचित है। अन्त में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये माल Half Turn Fitting एवं Qtr Turn Fitting (Concealed) को सेनेट्री फिटिंग्स मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में होना मानते हुए जांच के समय इसके दस्तावेजों के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 72(2)(b) सपठित नियम–53 का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है।

7. प्रत्यर्थी–व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर दिल्ली से मंगवाया गया आयातित उक्त माल Half Turn Fitting एवं Qtr Turn Fitting (Concealed) सेनेट्री गुड्स अथवा सेनेट्री फिटिंग्स नहीं है बल्कि यह Internal part of Water Tap है जिसे उसके द्वारा Faucets के निर्माण में

लगातार.....3

कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो अधिसूचित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है एवं न ही यह सेनेट्री गुड्स/फिटिंग्स की परिभाषा में कवर होता है, अतः इस आधार पर उक्त माल पर घोषणा–पत्र वैट–47 की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रत्यर्थी–व्यवसायी द्वारा सशक्त अधिकारी को कारण बताओं नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के द्वारा उक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मै0 डी0 पी0 मैटल्स के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तुत घोषणा–पत्र को स्वीकार करते हुए शास्ति की कार्यवाही निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई लेकिन सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब में वर्णित तथ्यों पर गौर किये बिना एवं जांच के समय प्रस्तुत दस्तावेजों को बोगस अथवा मिथ्या साबित किये बिना ही विवादित आदेश के तहत अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित कर दी गई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मै0 डी0 पी0 मैटल्स के आलोक में न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मै0 डी0 पी0 मैटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :– "If by mistake some of the documents were not readily available at the time of checking, principles of natural justice might require opportunity being given to produce the same." इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि गलती से/भूलवश कुछ दस्तावेज माल के साथ लगने से रह जाने के कारण चैकिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जा सके तो उन्हें पेश करने हेतु व्यवसायी को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से समय प्रदान किया जाना चाहिए।

9. इस प्रकार उक्त तथ्यों की गहनता से जॉच किये बिना ही सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 17.09.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य